

फ्लेवर चाय निर्माता के रूप में पंजीकरण हेतु दिशानिर्देश

स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 694 (ई) दिनांक 11.10.1999 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति सुगंध वाली चाय के वास्तविक निर्माता के रूप में टी बोर्ड से प्राप्त वैध पंजीकरण के अलावा अतिरिक्त स्वाद के साथ चाय के निर्माण की गतिविधियों को जारी नहीं रखेगा, जैसाकि उसके स्वामित्व या उसके द्वारा नियंत्रित प्रत्येक कारखाने के संबंध में उक्त आदेश के अनुसार है।

उपरोक्त अधिसूचना और खाद्य सुरक्षा व मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) विनियम, 2011 के तहत प्रावधान के बाद, टी बोर्ड स्वाद वाली चाय के निर्माताओं को स्वादयुक्त चाय पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी कर रहा है।

आवेदक ऑनलाइन पोर्टल <https://onlineapps.teaboard.gov.in> के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में लाइसेंसिंग प्राधिकरण को पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करेंगे।

आवेदकों से अनुरोध है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेजों/सूचना के साथ सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन जमा करने से पहले उपरोक्त ऑनलाइन पोर्टल में दिशानिर्देशों, शुल्क संरचना, एफएक्यू अनुभाग, सहायक दस्तावेजों को देखें।

टी बोर्ड से तत्काल प्रतिक्रिया/जवाब के लिए आवेदक (कों) को अपना ई-मेल आईडी व फोन नंबर देना होगा।

सिस्टम जनरेटेड एप्लिकेशन फॉर्म (अनुलग्नक-बी) भरा जाना चाहिए और प्रोपराइटर / पार्टनर / निदेशक / प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (जैसा भी मामला हो) के विशिष्ट ऑफिस सील के साथ तारीख सहित हस्ताक्षरित होना चाहिए। (यदि आवेदन प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित है तो प्राधिकरण पत्र संलग्न किया जाना चाहिए)

टी बोर्ड द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित अपेक्षित दस्तावेज जमा न करने की स्थिति में, आवेदन रद्द किया जा सकता है और आवेदक को नया आवेदन जमा करना होगा।

आवेदक की ओर से त्रुटि/कमी के कारण आवेदन की अस्वीकृति के मामले में, आवेदन शुल्क की वापसी का कोई प्रावधान नहीं है।

मार्केटिंग कंपनी जिसके ब्रांड नाम के तहत फ्लेवर्ड चाय का विपणन किया जाएगा, फ्लेवर्ड चाय के निर्माता के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन करेगी। निर्माण इकाई अर्थात जहां सुगंधित चाय के सम्मिश्रण और पैकेजिंग की गतिविधियां की जाती हैं, उन्हें आवेदक कंपनी के एफएसएसआई लाइसेंस में अधिकृत परिसर के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 के प्रावधानों का पालन करते हुए पैकेट पर मार्केटिंग कंपनी (फ्लेवर्ड चाय के निर्माता) और निर्माण इकाई के पते का विस्तार से उल्लेख किया जाना चाहिए।

नए पंजीकरण/पंजीकरण प्रमाणपत्र में संशोधन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया :

फ्लेवर्ड चाय के पंजीकरण के लिए, आवेदक कंपनी/फर्म ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से केवल एक ही आवेदन प्रस्तुत करेगी। फ्लेवर्ड चाय पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी होने के बाद, ऑनलाइन पोर्टल में संशोधन लिंक प्रदान/सक्रिय किया जाएगा, जिसके माध्यम से आवेदक मौजूदा फ्लेवर्ड चाय पंजीकरण प्रमाण पत्र में अतिरिक्त फ्लेवर्ड चाय को शामिल करने के लिए आगे आवेदन कर सकता है।

ऑफलाइन पंजीकरण प्रमाण पत्र में संशोधन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया:

फ्लेवर्ड चाय निर्माता जिन्होंने पहले ऑफलाइन मोड के तहत फ्लेवर्ड चाय पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किया था और मौजूदा फ्लेवर्ड चाय पंजीकरण प्रमाणपत्र में शामिल करने के लिए अतिरिक्त फ्लेवर्ड चाय के पंजीकरण के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे उपरोक्त ऑनलाइन पोर्टल से हेल्पडेस्क टिकट प्राप्त करें और अपलोड करें। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ऑफलाइन डेटा के माइग्रेशन के लिए ऑफलाइन फ्लेवर्ड टी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। एक बार जब ऑफलाइन डेटा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर माइग्रेट हो जाता है, तो ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए पोर्टल में संशोधन लिंक प्रदान/सक्रिय किया जाएगा। इसके बाद, फ्लेवर्ड टी पंजीकरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति को टी बोर्ड को जमा करना आवश्यक है।

ऑनलाइन पोर्टल से संबंधित किसी भी तकनीकी प्रश्न के लिए आवेदक को हेल्पडेस्क टिकट उठाना चाहिए।

फ्लेवर्ड टी पंजीकरण प्रमाण पत्र (ऑफलाइन/ऑनलाइन) रखने वाले आवेदकों के संशोधन के बदले नए रूप में आवेदन करने के मामले में, उनके आवेदन अस्वीकार किए जा सकते हैं और आवेदन शुल्क की कोई धनवापसी नहीं होगी।

अतिरिक्त स्वाद के साथ चाय के निर्माता के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र

क्र.सं	विवरण	विवरण		
1	आवेदक फर्म/कंपनी का नाम (ब्लॉक अक्षरों में) पंजीकृत कार्यालय के पते सहित			
2	पत्राचार हेतु पता एवं टेलिफोन,फैक्स नं, मोबाइल नं, आ-मेल आईडी			
3	उस निर्माण इकाई/इकाइयों का नाम और पता जहां अतिरिक्त स्वाद वाली चाय का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है			
4	फ्लेवर का नाम % प्रति किलोग्राम i) प्राकृतिक स्वाद ii) प्राकृतिक स्वादिष्ट पदार्थ:	क्र.सं	फ्लेवर का विवरण	%-प्रति किलोग्राम
5	टी बोर्ड फैक्ट्री पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो (प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न करनी होगी)	प्रयोज्य नहीं		
6	राज्य प्राधिकरण द्वारा जारी फैक्टरी लाइसेंस संख्या, यदि लागू हो (प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न करनी होगी)	प्रयोज्य नहीं		
7	चाय निर्यातक/क्रेता लाइसेंस संख्या, यदि कोई हो (प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न करनी होगी)	प्रयोज्य नहीं		
8	केंद्रीय उत्पाद शुल्क लाइसेंस/पंजीकरण सं, यदि लागू हो (प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न करनी होगी)	प्रयोज्य नहीं		
9	100/- रुपये के गैर-न्यायिक स्टैम्प पेपर पर घोषणा, कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष विधिवत शपथ लेते हुए कहा कि : 1. "फ्लेवर्ड चाय के निर्माण में उपयोग की जाने वाली चाय एफएसएसआई मानकों के अनुरूप होती है।" 2. "चाय के फ्लेवर में प्राकृतिक फ्लेवर और प्राकृतिक स्वाद देने वाले पदार्थ शामिल होंगे जो क्रमशः फ्लेवर की तैयारी और एकल पदार्थ हैं, जो मानव उपभोग के लिए स्वीकार्य हैं, विशेष रूप से पौधों की सामग्री से उनकी प्राकृतिक अवस्था में या मानव उपभोग के लिए प्रसंस्करण के बाद भौतिक प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किए जाते हैं।"			

दिनांक:

स्थान:

आवेदक का नाम और मुहर सहित हस्ताक्षर

दस्तावेज़ (ओं) का विवरण

क्र.सं	दस्तावेज़ (ओं)	प्रस्तुतिकरण का प्रकार	दस्तावेज़ अपलोड किया गया
1	प्रोपराइटर/पार्टनर/डायरेक्टर/ऑथराइज्ड सिग्नेटरी, जैसा भी मामला हो, की तारीख और मुहर के साथ सही तरीके से साइन किया हुआ एप्लीकेशन फॉर्म	इलेक्ट्रॉनिक रूप से	
2	स्वामित्व प्रसंग हेतु: नाम व आवासीय पते के साथ एकल स्वामित्व के लिए 100 रुपये का गैर-न्यायिक स्टॉप पेपर में विधिवत नोटरीकृत घोषणा, या साझेदारी फर्म के लिए: कम से कम दो भागीदारों द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित साझेदारी का डीड (यदि आवेदक एक साझेदारी फर्म है)), या कंपनी मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के लिए एक निदेशक द्वारा विधिवत प्रमाणित।	इलेक्ट्रॉनिक रूप से	
3	भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण से प्रमाण पत्र	इलेक्ट्रॉनिक रूप से	
4	खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योज्य) विनियम, 2011 के अनुसार (एफएसएसआई पैरामीटर - जैव रासायनिक पैरामीटर) पर परीक्षण रिपोर्ट, टी बोर्ड से एकीकृत मूल्यांकन योजना के तहत एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में सूचीबद्ध।	इलेक्ट्रॉनिक रूप से	
5	फर्म/कंपनी के वर्तमान भागीदारों/निदेशकों/मालिकों का नाम, आवासीय पता, ई-मेल आईडी और संपर्क नंबर।	इलेक्ट्रॉनिक रूप से	
6	100/- रुपये के गैर-न्यायिक स्टैम्प पेपर पर घोषणा, कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष विधिवत शपथ लेते हुए कहा कि : 1. "फ्लेवर्ड चाय के निर्माण में उपयोग की जाने वाली चाय एफएसएसआई मानकों के अनुरूप होती है"। 2. "चाय के फ्लेवर में प्राकृतिक फ्लेवर और प्राकृतिक स्वाद देने वाले पदार्थ शामिल होंगे जो क्रमशः फ्लेवर की तैयारी और एकल पदार्थ हैं, जो मानव उपभोग के लिए स्वीकार्य हैं, विशेष रूप से पौधों की सामग्री से उनकी प्राकृतिक अवस्था में या मानव उपभोग के लिए प्रसंस्करण के बाद भौतिक प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किए जाते हैं।"	इलेक्ट्रॉनिक रूप से	
7	कोई अन्य दस्तावेज़ जोड़ें	इलेक्ट्रॉनिक रूप से	